

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सहारनपुर।

पत्रांक: 156 / 12A

दिनांक : 07/03/2024

सेवा में,

प्रबन्धक,

जय हिन्द पब्लिक स्कूल,

पेपर मिल नागल रोड, शेखपुरा कदीम,

सहारनपुर

विषय: विद्यालय बिल्डिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका 1225 / एन०बी०सी० / एन०ओ०सी० / 23-24 दिनांक 21.02.2024

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा विद्यालय बिल्डिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त के सम्बन्ध में जय हिन्द पब्लिक स्कूल, पेपर मिल नागल रोड, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर की नैशनल बिल्डिंग कोड के नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
सहारनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
(क) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-12)

जय हिन्द पब्लिक स्कूल,
पेपर मिल नागल रोड, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ
4	क्या हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	नहीं
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ
13	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी०, ट्रेड 210 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ

19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ
25	क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	हाँ

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जय हिन्द पब्लिक स्कूल, पेपर मिल नागल रोड, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 02-03-2024 को किया गया। भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005, 2016 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- चैकलिस्ट


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
सहारनपुर

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

Dated: 07/03/24

No. 156/1c

Certified that the **Jai Hind Public School** (name of the building or premises) at **Paper Mill Nagal Road, Shekpura Kadeem, Distt Saharanpur** (address) comprised Ground + First Floor (upper floors) owned/occupied by **Jai Hind Public School** (name of the Institution) have complied with the Building Bye Laws in accordance with rule of State/UT, and incorporate the provisions of building safety as specified in National Building Code 2005, 2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer of **P.D., P.W.D., Saharanpur** (Name of Department/Govt) on 02.03.2024 (date of inspection) in the presence of **Mrs. Varsha Guar, Principal, Jai Hind Public School, Paper Mill Nagal Road, Shekpura Kadeem, Distt Saharanpur** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes **1st to 12th** with effect from 07.03.2024 for a period of 5 years in accordance with rules and subject to compliance of the specific conditions as appended.

Issued on 07.03.2024 at Saharanpur by Er. Deepti, Assistant Engineer, P.D., P.W.D. Saharanpur


सहायक असियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि014
सहारनपुर